

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक 712 / 128 / 2018 / नियम / चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17/4/18

आयुक्त,
संचालनालय, कोष एवं लेखा,
पर्यावास भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।

विषय :- मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स 1995 भाग दो के अंतर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर्स 2012 भाग दो में संचालनालय, कोष एवं लेखा के अंतर्गत प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों में सरल क्र. 10 के नीचे निम्नलिखित वित्तीय अधिकार और जोड़े जाते हैं :-

क्र.	विवरण	वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करने वाले सक्षम प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा	रिमार्क
1	2	3	4	5
11.	आई.एफ.एम.आई.एस. प्रोजेक्ट अंतर्गत नवीन कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर और पेरिफेरल उपकरणों का क्रय	आयुक्त कोष एवं लेखा	रु.50.00 लाख प्रतिवर्ष	—
12.	नेटवर्क कनेक्शन एवं डॉटा उपयोग पर किया गया व्यय	कार्यालय प्रमुख	पूर्ण शक्तियां	
13.	आई.एफ.एम.आई.एस.मॉड्यूलस के प्रशिक्षण पर व्यय	1. आयुक्त 2. कार्यालय प्रमुख	पूर्ण शक्तियां रु.50,000 प्रतिवर्ष	

2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पंकज अग्रवाल)

प्रमुख सचिव


म0प्र0शासन, वित्त विभाग

....2..

पृष्ठा.क्रमांक 713 / 128 / 2018 / नियम / चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 17/4/18

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ ।
2. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(अजय चौबे)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग